रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2014/ ज्येष्ठ 15, 1936
No. 1203] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2014/JYAISTHA 15, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2014

का.आ. 1449(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना आवष्यक है, यह न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए कि लिबरेषन टाइगर्स आफ तमिल ईलम को 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीष माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी. मित्तल की अध्यक्षता में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. I. 11034/1/2014-आईएस. I]

राकेष सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2014

S.O. 1449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", consisting of Hon'ble Mr. Justice G.P. Mittal, a sitting Judge of the High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Liberation Tigers of Tamil Eelam as an 'Unlawful Association'.

[F.No.I.11034/1/2014-IS.I]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

2316 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054